अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 455/2012

मो0 शकुन्तला देवी —— अपीलार्थी

वनाम

राज्य एवं अन्य —— रेस्पोण्डेन्ट्स

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा, द्वारा पारित आदेश दिनांकः 12.05.2012ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 48/2012 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलाकन किया।

प्रस्तुत अपील वाद में प्रश्नगत भूमि मौजाः सिंहेश्वर, अंचलः सिंहेश्वर, खाता पु0ः 73 खेसर,ा पु0ः 729, नयाः 306, नयाः 824, खाता पुराना 60, नयाः 33, खेसरा नयाः 727, 728, नया खेसराः 826/1211 रकबा 10 धूर चौहदी उ0ः सुभाष राम, द0ः सुनील राम वो संतोष राम पु0ः रामजानकी ठाकुरबाड़ी प0ः सड़क भूमि है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि प्रश्नगत भूमि का बंटवारा नही हुआ है। रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष /वादी के द्वारा खरीदगी जमीन अपीलार्थी/ विपक्षी को नशा की गोली खिलाकर कराया गया है। विपक्षी के अपीलार्थी/विपक्षी के पुत्र संजय राम ने कभी भी इस तरह का कार्य नहीं किया

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि समान पक्षकार एवं उपर्युक्त भूमि से संबंधित व्यवहार न्यायालय में टाईटिल सूट लंबित है अतएवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, के न्यायालय में उक्त वाद मेनटेनेबुल नहीं था।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि टाईटिल सूट में रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 के भेन्डर द्वारा दाखिल लिखित जवाब में यह कहा गया है कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का केवाला दस्तावेज क्रियान्वित नहीं किया गया है बल्कि कर्ज लेते समय उनके हस्ताक्षर लिये गये।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी प्रश्नगत विवादी भूमि पर शांतिपूर्वक दखल रहा हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करतें हैं कि रेस्पोण्डेन्ट संख्या– 2 के विरूद्ध आपराधिक वाद लंबित है जो कि रेस्पोण्डेन्ट के तथाकथित भेन्डर संजय राम के द्वारा दायर किया गया है।

रेस्पोण्डेन्ट/वादी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि अंदर प्रश्नगत जमीन उन्होंने संजय राम, पिता: भीखन राम से खरीदा है। संजय राम को प्रश्नगत जमीन बंटवारे से प्राप्त थी, जिसपर सभी पक्षों के हस्ताक्षर है तथा इसे संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष/वादी सुधा देवी को प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी उनके नाम से है तथा वर्ष 2010 एवं 2011 तक की मालगुजारी रसीद उन्होनें कटाया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया पाया कि अपीलार्थी अपना दावा इस न्यायालय में साबित करने में असफल रहे हैं। अस्तु अपील खारिज। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

27/12/2013
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल,सहरसा

27/12/2013
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल,सहरसा